



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

पत्रांक

/निदेश(परि०)/उपाकालि/ **M-20**

दिनांक

03/05/2025

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1827/अधि०निदेश०(मा०सं०)/उपाकालि/ दिनांक 25.04.2025 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के आलोक में एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री विजय कुमार सिंह जिनकी प्रोन्नति कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1555/अधि०निदेश०(मा०सं०)/उपाकालि/III दिनांक 05.04.2025 द्वारा की गयी है को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में वर्णित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में वर्णित कार्यालय/स्थान पर अग्रिम आदेशों तक तैनाती हेतु आदेशित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नव-तैनाती का कार्यालय/ स्थान
-01-	-02-	-03-	-04-
1.	श्री विजय कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता(प्रमारी), उ०पा०का०लि०, विद्युत वितरण मण्डल(ग्रामीण), देहरादून। अतिरिक्त कार्य भार:- 1) अधीक्षण अभियन्ता(प्रमारी), पावर मेनेजमेन्ट सैल, वाणिज्य स्कन्ध, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून। 2) प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉट-3, ए०डी०बी० प्रोजेक्ट।	अधीक्षण अभियन्ता, उ०पा०का०लि०, विद्युत वितरण मण्डल(ग्रामीण), देहरादून। अतिरिक्त कार्य भार:- 1) अधीक्षण अभियन्ता, पावर मेनेजमेन्ट सैल, वाणिज्य स्कन्ध, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून। 2) प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉट-3, ए०डी०बी० प्रोजेक्ट।

यह भी अदेशित किया जाता है कि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वे संबंधित स्थानान्तरित अधिकारी को एक दिवस के भीतर कार्यमुक्त करेंगे। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अधिकारी एक दिवस की समाप्ति पर स्वतः ही कार्यमुक्त मान लिये जायेंगे एवं संबंधित नियंत्रक अधिकारी इस संबंध में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अविलम्ब अधिशासी निदेशक(मा०सं०) कार्यालय को अनुपालन आख्या प्रेषित करेंगे।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

पत्रांक **2064** /निदेश(परि०)/उपाकालि/

निदेशक(परिचालन)
तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि।
2. निदेशक(परियोजना/वित्त), उपाकालि।
3. अधिशासी निदेशक(मानव संसाधन), उपाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता(वितरण), उपाकालि, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक(वित्त) वेतन एवं भत्ते, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी।

(एम०आर० आर्य)
निदेशक(परिचालन)